159

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, नवगछिया
जिला– भागलपुर

महाशय,

नगर पंचायत, नवगछिया के वर्ष 2013–14 से 15–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 240 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

-ह०-

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14579/16। **दिनांक–** 31/8/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भागलपुर

31/8/16

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (ले0प0) बिहार, पटना

नगर पंचायत, नवगछिया

नि0प्र0सं0–240 / 16–17

(वर्ष 2013–14 से 2015–16)

भाग–I
प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	–	नगर पंचायत, नवगछिया
2.	लेखा की अवधि	–	2013–14 से 2015–16
3.	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	–	अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– I में एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– II पर दी गयी है।
4.	लेखा परीक्षा की तिथि	–	28.4.16 से 4.5.16 तक
5.	प्रशासन	–	
	(i) मुख्य पार्षद का नाम (ii) उप मुख्य पार्षद का नाम	–	1. श्रीमती इन्द्रा देवी–1.4.13 से 31.3.16 तक 2. श्री अरूण कुमार यादव–1.4.13 से 31.3.16 तक
	(ii) कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	–	1. श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता– 01.04.2013 से 10.10.2013तक 2. श्री संजीव कुमार, नगर सेवा–11.10.13 से 4.4.2015 तक 3. रिक्त–5.4.15 से 5.5.15 तक 4. श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता नगर सेवा–6.5.15 से 31.5.15 तक 5. श्री संजीव कुमार, नगर सेवा–1.6.15 से 24.8.15 6. श्री अमित कुमार, नगर सेवा–25.8.15 से 5.9.15 तक 7. श्री राम विलास दास–6.9.15 से 31.3.16 तक

6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	–	(i) श्री अमरनाथ कुमार, स0ले0प0अ0 (ii) श्री नागेन्द्र कुमार यादव, स0ले0प0अ0 (iii) श्री मनोरंजन प्र0 सिंह–व0ले0प0
7.	पर्यवेक्षण अधिकारी का नाम	–	श्री राजीव कुमार–I, व0ले0प0अ0
8.	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन	–	अप्रस्तुत
9.	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	–	दिनांक 04.05.2016 को वार्तालाप की गयी।
10.	अंकेक्षण टिप्पणी	–	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
11.	लेखा परीक्षा का परिणाम	–	
	अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि	–	₹74685.00
	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	–	₹1247863.00
	आपति के अधीन रखी गयी राशि (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VII पर)	–	₹10929600.00

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधरित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई / कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

कंडिका–12: बजट

बजट प्राक्कलन व वास्तविक व्यय में ± 10% से अधिक विचलन नहीं होना चाहिए। परंतु तैयार बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक प्राप्ति में 35.20% से (-) 61.35% तथा व्यय में 62.31% से 83.06% तक का विचलन था। विवरण निम्नवत् है:–

		प्राप्ति			व्यय	
वर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	विचलन	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	विचलन
2013-14	–			–		
2014-15	253109862	164007855	35.20%	249423221	42246379	83.06%
2015-16	146292742	236046797	(-) 61.35	342405629	129049410	62.31%

बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक व्यय में विचलन के कारणों एवं वर्ष 2013–14 का बजट नहीं बनाए जाने के कारणों का जवाब देते हुए नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान दिया जाएगा ।

भविष्य में बजट प्राक्कलन बनाते समय उपरोक्त आपत्ति का ध्यान दिया जाय । वर्ष 2013–14 के बजट प्राक्कलन नहीं बनाने से राशि रू. 34386168 का अप्राधिकृत व्यय हुआ ।

कंडिका–13: सरकारी अनुदान

नियमानुसार सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किए गए व्यय तथा वर्ष के अंत ेष को दर्ज किया जाना है। परंतु सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था ।

नगर पंचायत कार्यालय नवगछिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक सरकारी अनुदान की विवरणी जो अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, के अनुसार तीन वर्षो के दौरान रू. 191167932 प्राप्त हुए थे। अनुदान पंजी का संधारण नहीं किए जाने के कारण ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुए थे।

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किए जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि कर्मियों के कमी के कारण अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया । भविष्य में इसका संधारण किया जाएगा।

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण विहित प्रपत्र में कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय ।

(155)

कंडिका–14: आय व्यय (सामान्य रोकड़ पंजी)

कार्यालय नगर पंचायत नवगछिया के वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक की लेखापरीक्षा में लेखापाल रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में सामान्य रोकड़ पंजी प्रस्तुत की गई, जिसका आय व्यय निम्नवत् है–

	2013-14	2014-15	2015-16
प्रा. शेष	29039432	53039376	121761476
वर्ष की प्राप्ति	58386112	110968479	114285321
कुल प्राप्ति	87425544	164007855	236046797
व्यय	34386168	42246379	129049410
अंतशेष	53039376	121761476	106997387

31.03.2016 को सामान्य रोकड़ पंजी का अंतशेष रू. 106997387

अंकेक्षण टिप्पणी–

(i) सामान्य रोकड़ पंजी का 31.03.2016 को अंतशेष रू. 106997387 पाया गया जबकि सामान्य रोकड़ पंजी में सभी सहायक रोकड पंजियों के अंतशेष की विवरणी के अनुसार अंतशेष रू. 111714647 पाया गया। अंतर राशि रू. 4717260 का समाधान विवरणी के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सामान्य रोकड पंजी एवं सहायक रोकड पंजी के अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया जाएगा ।

(ii) सभी रोकड़ पंजियों का अद्यतन पासबुक बैंक समाधान विवरणी के साथ प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि बैंक पासबुक प्राप्त कर एवं अंतर राशि का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(iii) स्वयं स्रोत हेतु दो रोकड़बही (i) बस स्टैंड (ii) विविध का संधारण किया जाता था। विविध रोकडबही में च0रा0वि0आ0 का आवंटन राशि का भी संधारण किया जाता था। इसका प्रचलन वित्तीय वर्ष 2013–14 के पूर्व से था जिसके कारण स्वयं स्रोत के आय–व्यय के वास्तविक आँकड़ों का पता नहीं चल पाया। इसके जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि स्वयं स्रोत से चतुर्थ वित्त की सम्मिलित राशि अलग कर ली जाएगी एवं स्वयं स्रोत की वास्तविक राशि से महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा।

(iv) चौदहवीं वित्त आयोग, बी.आर.जी.एफ., स्वच्छ भारत मिशन की आय–व्यय की विवरणी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया ।

(v) रोकड़ पंजी पर नियमित रूप से पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है। आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि रोकड पंजी का संधारण नियमित रूप से कर लिया जाएगा ।

सामान्य रोकड पंजी एवं सभी सहायक रोकड बही के अंतशेष के अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय साथ ही बैंक की समाधान विवरणी भी अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।

कंडिका 15:–स्वयं स्त्रोत की आय–व्यय

स्वयं के स्त्रोत से होने वाले आय–व्यय का संधारण विविध रोकड़पंजी तथा बस स्टैण्ड रोकड़पंजी में किया जाता था जिसके आधार पर निम्नवत् आय–व्यय विवरणी तैयार की गई है–

	2013-14	2014-15	2015-16
प्रारंभिक शेष	9635475	15414718	13776775
वर्ष की प्राप्ति	12040092	12659818	5890828
कुल प्राप्ति	21675567	28074536	19667603
व्यय	6260849	14297761	7739739
अंतशेष	15414718	13776775	11927844

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–।।। पर संलग्न)

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. स्वयं के स्त्रोत से होने वाले आय–व्यय का संधारण विविध तथा बस स्टैण्ड दोनों रोकड़पंजियों में किया जाता था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विविध रोकड़पंजी में चतुर्थ रा.वि.आ. की आवंटित राशि का भी संधारण किया जाता था जिस कारण निकाय के स्वयं स्त्रोत के आय–व्यय का वास्तविक आंकड़ा का पता चल नहीं पाया। इसका प्रचलन वर्ष 2013–14 के पूर्व से चलता आ रहा है।

   आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद की राशि अलग कर ली जाएगी ।

   स्वयं के स्रोत हेतु एक अलग रोकड–बही एवं बैंक खाता का संधारण किया जाय ।

(159)

भाग–II

खण्ड–'क'–शून्य

खण्ड–'ख'

कंडिका–01: LED लाईट की अनियमित क्रय एवं अधिष्ठापन

दिनांक 14.07.2015 के बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव सं. 19 द्वारा एल.ई.डी. पोल लाईट सभी वार्डो में लगाने का निर्णय पारित किया गया।

निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर वाले मे0 आरती इंटरप्राइजेज, नवगछिया के बजाज कम्पनी का 45 वाट का एल.ई.डी. लाईट 100 अदद अधिष्ठापित करने हेतु 04.09.15 को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। दर रू. 18400 प्रति अदद था।

उक्त फर्म द्वारा 05.12.15 तक आपूर्ति नहीं करने के फलस्वरूप 05.12.15 के बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव सं. 3 के अनुसार 400 अदद और क्रय करने का प्रस्ताव लिया गया तथा द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता फर्म मे0 चंदन इंटरप्राइजेज, खगड़िया को दर रू. 18500 पर ही हेवेल्स कम्पनी का 45 वाट का 400 अदद आपूर्ति करने हेतु आदेश जारी किया गया। पुनः 100 अदद का 16.03.16 से आदेश जारी किया गया। इस पर व्यय की विवरणी निम्नवत् है–

क्र. सं.	आपूर्ति आदेश की तिथि	अदद की संख्या	कम्पनी व वाट	दर प्रति अदद	फर्म का नाम	विपत्र की राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान की तिथि
1	4.9.15	100	बजाज 45 वाट	18400	मे. आरती इंटर प्राइजेज नवगछिया	1840000	1573200	28.03.16
2	17.12.15	400	हेवेल्स 45 वाट	18400	मे. चंदन इंटर प्राइजेज, खगड़िया	1840000	1840000	19.02.16
3	16.03.16	100	–वही–	–वही–	–वही–	3680000	3680000	14.03.16
						3680000	3680000	21.03.16
		600		कुल		110400	10773200	

						00		

मे0 आरती इंटरप्राइजेज, नवगछिया के विपत्र से वैट की राशि रू. 266800 की कटौती की गयी थी। चंदन इंटर प्राइजेज द्वारा C-III दिया गया था ।

अंकेक्षण टिप्पणीः

1. पोल पर अधिष्ठापन के पूर्व विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। इसके बिना ही फर्म के द्वारा अधिष्ठापन किया गया ।
2. 16.03.16 को 100 अदद की आपूर्ति आदेश का अनुमोदन बोर्ड/ सशक्त स्थायी समिति से अबतक प्राप्त नहीं करने के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि आपूर्ति आदेश की अनुमोदन बोर्ड/ सशक्त स्थायी समिति से प्राप्त कर लिया जाएगा ।

   मे0 चंदन इंटरप्राइजेज द्वारा बजाज कम्पनी का LED 45 वाट का लाईट का चैनल पार्टनर का प्रमाण कोटेशन के साथ दिया गया था। हेवेल्स कम्पनी के विक्रेता के संबंध में कोई प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया था। फिर इन्हें किस आधार पर कार्यादेश निर्गत किया गया था, से संबंधित आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि specification एवं विक्रेता के संबंध में फर्म से मांग की जाएगी।
3. आयकर की कटौती नहीं:–भुगतान के पूर्व बिल की राशि से 1 प्रतिशत आयकर की राशि 110400 की कटौती नहीं की गयी थी के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि इस संबंध में फर्म को नोटिस दिया जाएगा ।
4. परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी की कटौती नहीं:–बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 129(P) के अनुसार क्रय सामग्री के भुगतान के पूर्व 5–10 प्रतिशत राशि परफॉरमेंस सिक्यूरिटी के रूप में वारंटी अवधि तक कटौती कर रखना था। मे. चंदन इंटरइप्राइजेज के द्वारा 1 वर्ष तथा मे. आरती इंटरप्राइजेज द्वारा 2 वर्ष की वारंटी दिया गया था। परंतु भुगतान के पूर्व इसकी कटौती नहीं किये जाने के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में कटौती नहीं की गयी। इस प्रकार संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।
5. वर्तमान स्थिति:– वर्तमान में कितनी LED लाईट उर्जान्वित हैं एवं कितने बंद पड़े है एवं इसकी भंडार पंजी के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि वर्तमान में सभी प्रकाशवान हैं ।

(151)

इस प्रकार कोटेशन एवं वैध अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना क्रय एवं अधिष्ठापन अनियमित था। अतः राशि रू. 10929600 की व्यय को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है । साथ ही राशि रू 110400 की कटौती आयकर के रूप में न कर फर्म को अधिक भुगतान किया गया जो वसूलनीय है ।

कंडिका–02: टीपर, मोबाईल टॉयलेट आदि की क्रय (असंबद्ध अनुदान)में अधिक भुगतान रू. 8.33 लाख

नगर पंचायत की बैठक दिनांक 18.05.2015 के प्रस्ताव सं. 3 के द्वारा एक अदद चलंत शौचालय, दो अदद ओटो टीपर, एक अदद शव वाहन एवं 50 अदद रिक्शा ठेला क्रय करने का प्रस्ताव लिया गया था।

तदनुसार मेसर्स चंदन इंटरप्राइजेज, नाला रोड खगड़िया को 24.11.2015 को उपरोक्त की आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया। फर्म द्वारा आपूर्ति व भुगतान की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र. सं.	सामग्री का नाम	दर प्रति अदद	अदद की संख्या	आपूर्ति की तिथि	फर्म को भुगतान की गयी राशि व दिनांक		निकाय का नाम जिसके दर पर क्रय किया गया एवं उसके आपूर्ति आदेश की शर्त्त
1	ऑटो टीपर 1.89 घनमीटर	945000	2	03.02.16	1890000	28.02.16	नगर पंचायत कहलगांव का 04.06.15 का दर
2	मोबाईल टॉयलेट	1896000	1	06.03.16	1896000	30.03.16	नगर पंचायत लालगंज का 24.12.14 का दर चार वर्ष का वारंटी एवं वारंटी अवधितक 5 प्रतिशत तक जमानत राशि कटौती करना था।
3	रिक्शा कूड़ादानी 300 ली.	37900	50	11.03.16	1895000	30.03.16	नगर निगम गया का 07.10.13 का दर
4	शव	1579000	1	08.03.16	1579000	30.03.16	नगर परिषद सासाराम का

	वाहन						10.09.13 का दर
				कुल	7260000		

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. बुडको से अधिक दर पर क्रय एवं भुगतान :– बिहार वित्त (सं ोधन) नियमावली 2005 के नियम 129 के अंतर्गत बुडको को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरण, गाड़ियों तथा यंत्रों के क्रय हेतु राज्य क्रय संगठन नामित दिनांक 08.08.2014 को किया गया था।

   ऑटो टीपर 1.80 cum के लिए बुडको का प्रति अदद दर मे. अशोक लीलैंड, मे. मौर्या मोटर्स एवं मे. टी.पी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का राशि रू. 575966 दिनांक 06.04.2015 का था, परंतु जिस फर्म से क्रय किया गया, उसका दर रू. 945000 था। राशि रू. 369034 प्रति अदद अधिक दर पर क्रय करने के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि क्रय करते समय आगे से ध्यान रखा जाएगा।

2. परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी की कटौती नहीं– बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131(P) के अनुसार फर्म को भुगतान करते समय परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी 5 से 10% की कटौती करना था जिसकी वापसी वारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात् करना था।

   मोबाईल टॉयलेट की आपूर्ति आदेश जो नगर पंचायत लालगंज द्वारा निर्गत किया गया था, में 5% सुरक्षित राशि वारंटी अवधि 4 वर्ष तक काटने का आदेश था। इसी दर पर मोबाईल टॉयलेट का क्रय किया गया था। परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी की कटौती नहीं करने के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की कटौती नहीं की गयी। आगे क्रय करते समय इसकी कटौती की जाएगी ।

3. भंडार पंजी– 50 अदद रिक्शा कूड़ादानी का भंडार पंजी एवं अधिष्ठापन स्थल की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भंडार पंजी भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा ।

   जवाब संतोषजनक नहीं था। फर्म को ओटो टीपर के क्रय में राशि रू. 738068(369034 x 2) का अधिक भुगतान किया गया जो फर्म से वसूलनीय है। परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि रू. 94800(1896000 का 5%) की कटौती नहीं करना भी संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाना था।

(१५१)

कंडिका–03: बिजली विपत्र में D.P.S. का अनियमित भुगतान रू. 0.78 लाख

उर्जा विभाग एवं नगर विकास विभाग स्तर पर यह सहमति बनी थी कि नगर निकाय द्वारा बिजली बिल भुगतान करते समय D.P.S. का भुगतान नहीं करना था।

दक्षिण बिहार पावर वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा माह अक्टूबर 2013 का बिजली विपत्र की राशि रू. 1340754 का भुगतान हेतु नगर पंचायत को बिल समर्पित किया गया था। इस विपत्र में बकाया D.P.S. की राशि रू. 60291 एवं चालू माह का D.P.S. रू. 17226 अर्थात कुल राशि रू. 77517 भी सम्मिलित था, जिसका भुगतान दिनांक 29.11.2013 को तेरहवीं वित आयोग मद से किया गया था।

D.P.S. की राशि का भुगतान करने के कारण के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि आगे भुगतान करने के समय इसका समायोजन करने के लिए कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल नवगछिया को पत्र लिखा जाएगा ।

अतः राशि रू. 77517 वसूलनीय है ।

कंडिका–04: डस्टबीन के क्रय में वैट की कटौती नहीं (तेरहवीं वित्त)

200 अदद (नील कमल) 150 लीटर का प्रति अदद दर रू. 16990 पर मे. चंदन इंटरप्राइजेज, खगड़िया से किया गया था। फर्म द्वारा प्रस्तुत विपत्र की राशि रू. 3398000 के विरूद्ध राशि रू. 3398000 का भुगतान फर्म को (रू. 2548500 दि. 22.08.15 एवं रू. 849500 दि. 07.09.15) किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. वैट की कटौती नही– स्त्रोत पर ही 5% वैट अर्थात रू. 169900 की कटौती करना था। परंतु ऐसा नहीं किया गया था । इसके आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि फर्म को नोटिस किया जाएगा ।
2. परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी की कटौती नहीं– बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131(P) के अनुसार सामग्री, के क्रय के भुगतान करते समय 5-10% परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी की कटौती करना है जिसका भुगतान वारंटी अवधि के पश्चात् करना था। फर्म द्वारा 4 वर्ष का वारंटी दिया गया था। इसकी अवधि अगस्त 2019 में समाप्त होगी। इसके पश्चात् इस राशि की वापसी करना था। परंतु भुगतान के समय इसकी कटौती नहीं किया गया था। इसके आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गयी । आगे कटौती की जाएगी ।

3. भंडार पंजी– 200 अदद डस्टबीन की भंडार पंजी, अधिष्ठापन स्थल अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वर्तमान भौतिक स्थिति से भी अवगत कराया जाए। आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भंडार पंजी संधारित किया जाएगा ।

वैट की राशि रू. 169900 वसूलनीय है एवं आगे क्रय करते समय क्रय नियमों का अनुपालन किया जाय।

कंडिका–05: अधिक भुगतान वसूलनीय राशि रू. 1.07 लाख

योजना सं0 – 7/15–16

योजना का नाम – वार्ड संख्या 7 में अफसार के घर से मो. फरीद मुंशी के घर तक एवं मेन रोड से मस्जिद तक पी.सी.सी. पथ निर्माण कार्य।

अभिकर्ता का नाम – श्री प्रभाकर कुमार, कनीय अभियंता

प्राक्कलित राशि –रू. 504900

कार्यादेश की तिथि – 18.07.15

कार्य समाप्ति की अवधि/तिथि– दर्ज नहीं

मापी की राशि –रू. 237981.88 या 237900

भुगतान राशि –रू. 368300

उपर्युक्त संचिका के अवलोकन में पाया गया कि योजना में दो कार्य हेतु अलग अलग प्राक्कलन तैयार किया गया था। अफसार के घर से मो. फरीद मुंशी के घर तक पी. सी.सी. निर्माण एवं जिसकी प्राक्कलित राशि रू. 285000 एवं मेन रोड से मस्जिद तक पी. सी.सी. जिसकी कुल राशि रू. 222000 अर्थात कुल प्राक्कलित राशि रू. 507800 होता है परन्तु संकलित प्राकलन 504900 का संलग्न है। अवलोकन में पाया गया कि संचिका में प्राक्कलन का पार्ट (3) अर्थात अफसर के घर से मो. फरीद मुंशी के घर तक पी.सी.सी. रोड तक का मापीपुस्तिका संलग्न है, जिसके नमूना जांच में पाया गया कि मापीपुस्त की राशि से अधिक भुगतान रू. 106811 किया गया है। विवरणी निम्नवत है–

संचिका के भुगतान आदेश/ भुगतान		मापी पुस्त के अनुसार	अन्तर राशि
मापी राशि	368300	237900	
CP 9.09%	33478	21625	
ST 5%	18415	11895	
IT 1%	3683	2379	

(147)

रायल्टी 2%	7366	4758	
लेबर सेस 1%	3683	2379	
कुल भुगतेय राशि	301675	194864	
अग्रिम राशि	50000	50000	
भुगतान राशि	251675	144864	106811

अंकेक्षण टिप्पणी–

(i) संचिका में प्राक्कलन की राशि रू.555000 अंकित है जबकि संकलित प्राक्कलन में 504900 दर्ज है एवं दोनों (A+B) को जोड़ने पर 507800 होता है, इसका कारण अंकेक्षण दल को स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) कार्य समाप्ति की अवधि/तिथि अंकित नहीं है।

(iii) प्राक्कलन के अनुसार पार्ट A+B करना था जबकि पार्ट B कार्य कराया गया, जिसकी मापी पुस्तिका संचिका में संलग्न है एवं भुगतान की गयी है । कार्य के विरूद्ध (मापी पुस्तिका के अनुसार) रू. 106811 अधिक भुगतान किया गया है, जो उपर्युक्त विवरणी में प्रदर्शित है एवं मापी पुस्तिका में भी पृष्ठ सं. 7 पर दर्ज है, परन्तु कार्यपालक का हस्ताक्षर नहीं है। अतः अधिक भुगतान के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए एवं सत्यता की जांच कर राशि की वसूली की जाए एवं प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने का कारण भी लेखापरीक्षा को बताया जाय।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि राशि वसूलीकर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः राशि रू. 106811 कनीय अभियंता से वसूलनीय है। पार्ट A का कार्य सम्पन्न नहीं होने का कारण अगले अंकेक्षण में बताया जाए ।

कंडिका–06: नक्शा पारित करने में शुल्क की कम वसूली रू. 0.45 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अधिसूचना दिनांक 08.12.2014 के अनुसार एक हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के प्लॉट हेतु नगर पंचायत मे रू. 6000, नगर परिषद में 8000 एवं नगर निगम में रू. 10000 डेवलपमेंट परमिट शुल्क की वसूली नक्शा पारित

करने के समय करना है एवं बिल्डिंग परमिट शुल्क आवासीय भवन हेतु प्रति वर्ग मीटर(Built up area) नगर पंचायत हेतु रू. 4 की दर से राशि वसूल करना है।

नगर पंचायत नवगछिया (भागलपुर) के वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नक्शा पंजी एवं संचिका (वर्ष 2015–16) के अवलोकन में पाया गया कि डेवलपमेंट परमिट शुल्क एवं बिल्डिंग परमिट शुल्क रू. 52076 के विरूद्ध रू. 6909 वसूल की गयी है फलस्वरूप रू. 45167 की कम वसूली हुई है।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–iv में संलग्न है)

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि राशि की वसूली हेतु वास्तुविद् एवं संबंधित व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा ।

अतः राशि रू. 45167 वसूली योग्य है ।

कंडिका 7:– कम/नहीं जमा 0.75 लाख

होल्डिंग रसीद एवं विविध रसीद के मिलान इसकी दैनिक संग्रह पंजी एवं इसकी जमा संबंधित बैंक खाता में देखने पर पाया कि कर संग्राहकों एवं वसूलीकर्ता द्वारा कुल राशि रू. 410561 का संग्रहण किया गया । जिसके विरूद्ध मात्र राशि रू. 335876 ही नगर पंचायत निधि में जमा किया गया था तथा शेष राशि रू. 74685 नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था।

हालांकि, आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् राशि रू. 74685 अंकेक्षण के दौरान बैंक/निधि में जमा किया गया ।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–v में संलग्न है)

भविष्य में राशि ससमय निधि में जमा किया जाए ।

कंडिका–08: मोबाइल टावरों पर नवीकरण शुल्क का बकाया राशि रू. 11.10 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 कि अधिसूचना (सं. 3692 दिनांक 08.10.12) के बजट में प्रकाशन के पश्चात् सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) सभी निकायों को मांग–पत्र प्रेषित हेतु निर्देश दिया गया था।

उपरोक्त नियमावली के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक मोबाइल टावर का पंजीयन फीस रू. 30000 तथा वार्षिक नवीकरण फीस रू. 8000 निर्धारित है। पुनः टावर पर लगाये गये प्रत्येक अतिरिक्त एंटीना पर 60 प्रतिशत कि दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से लगाया जाना है।

(145)

नगर पंचायत कार्यालय नवगछिया द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी के अनुसार मात्र छह संचार मीनार ही नगर पंचायत के अधीन अधिष्ठापित है। सर्वे से संबंधित कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि स्थापित टावर पर अतिरिक्त एंटीनों की संख्या कितनी है तथा इस हेतु सम्पूर्ण सर्वे कब किया गया।

मोबाइल टावर हेतु मांग एवं वसूली पंजी का संधारण कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा था। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मात्र सात मोबाइल टावर है, जिनके विरूद्ध रू. 1109500 बकाया शेष है।

लेखा परीक्षा दल को स्पष्ट कराया जाय कि–

1. मोबाइल टावर कंपनियों पर बकाया से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किए जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि पंजी का संधारण किया जाएगा ।
2. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिष्ठापित टावरों पर कुल कितने अतिरिक्त एंटीना लगाया गया है इसका सर्वे कार्यालय द्वारा नहीं कराया गया जिस कारण अतिरिक्त एंटीनाओं पर 60% की दर से पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की वसूली कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है।इस आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि इस हेतु सर्वे किया जाएगा ।
3. लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय कि 2007–08 से ही बकाया राशि की वसूली नहीं की जा रही है क्योंकि रू.1492000 में सिर्फ रू. 382500 की ही वसूली गई है। इतनी लम्बी अवधि से बकाया राशि की वसूली नहीं किए जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया कि वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किया जाएगा ।

   सर्वे पंजी, मांग एवं वसूली पंजी संधारित किया जाय और बकाया राशि वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किया जाय ।

कंडिका–09: विलोपित

कंडिका–10: राशि का विचलन रू. 150.00 लाख

कार्यालय नगर पंचायत नवगछिया वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखापरीक्षा में रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि रोड फण्ड रोकड़ पंजी दिनांक 01.01.16 को रू. 15000000 हस्तान्तरित कर अनटाइड फंड रोकड़ पंजी में प्राप्त दिखाया गया। रोड फण्ड अर्थात समय योजना की राशि को (अनटाइड) अर्थात चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद में विलचन की गयी है। राशि के विचलन के संबंध में लेखापरीक्षा को बताया गया कि आबंटन प्राप्त होने पर समायोजन किया जाएगा ।

राशि का समायोजन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका–11: स्वर्ण जयंती रोजगार योजनान्तर्गत प्रशिक्षण मद में अनियमित व्यय रू. 30.00 लाख

बिहार सरकार के पत्रांक 927 दिनांक 06.09.2012 के निर्देशानुसार बी.पी.एल परिवारों के युवक युवतियों को 17 व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जा है। इसमें यह भी चर्चा की गयी है कि प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.06.2012 थी और प्राप्त आवेदनों के संबंध में व्यवसायवार पंजी संधारण करना था। इस बात की सूचना विभाग के पत्रांक 314/09.04.2012 427/15.05.12 तथा पत्रांक 507/12.06.12 द्वारा दी जा चुकी की जैसा की इस पत्र द्वारा स्पष्ट है।

कार्यालय नगर पंचायत नवगछिया के स्वर्ण जयंती रोजगार योजना संचिका के अवलोकन में पाया गया कि कुल 11 ट्रेड में 963 लाभार्थी को प्रशिक्षण दिया गया था, विवरणी निम्नवत है–

क्र. सं.	व्यवसाय (ट्रेड) का नाम	संस्था का नाम	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संदस्यों	प्रति लाभार्थी भुगतान राशि	संस्था को भुगतेय राशि
1	लैब टेक्नीसियन	इंडक्टस कम्सलटेन्स प्रा. लि. न्यू डाकबंगला रोड	03	6000	18000
2	फैशन डिजाइनिंग		250	7000	1750000
3	बी.पी.ओ.		03	6000	18000

4	नर्सिंग		60	6000	360000
5	स्पोकेन		02	4000	8000
6	सिक्यूरिटी गार्ड		150	5000	750000
7	ड्राइविंग		11	6000	66000
8	लेथ ऑपरेटर		11	5000	55000
9	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	कर्पूरी सेवा सदन बैद्य भवन राजगीर	150	7000	1050000
10	ब्यूटीशियन		53	60000	318000
11	फुड प्रोसेसिंग		270	70000	1890000
			963		6283000

संचिका के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत नवगछिया द्वारा उपर्युक्त ट्रेडो में प्रशिक्षण हेतु इन्डक्टस कम्सलटेन्स प्रा.लि. न्यू डाकबंगला रोड पटना एवं कर्पूरी सेवा सदन बैद्य भवन राजगीर को प्रशिक्षण देने हेतु एकरारनामा किया गया था। दोनों संस्थाओं को भुगतेय राशि जो कार्यालय द्वारा उचित दर पर गणना की गयी एवं भुगतान आदेश दिया गया है तत्पश्चात् संस्था से अभिश्रव प्राप्त कर भुगतान की जा रही है। लेखापरीक्षा तिथि तक दोनों संस्थाओं को निम्न प्रकार भुगतान किया गया है:

क्र. सं.	नाम कन्सलटेंन्स	भुगतेय राशि	भुगतान की गई राशि रू.
1	इन्डक्टस प्रा.लि.	3025000	600000(अग्रिम) 654000 चेक सं. 054683/28.3.16 693700 चेक सं. 54685/30.3.16
2	कर्पुरी सेवा सदन	3258000	600000 (अग्रिम) 452300 चेक सं. 54682/28.3.16
		कुल	3000000

अर्थात् कुल राशि रू. 30 लाख भुगतान किया गया था ।

अंकेक्षण टिप्पणी–

संचिका के अवलोकन में निम्नलिखित कमियां पायी गयी–

(i) नगर पंचायत कार्यालय में व्यवसायवार पंजी संधारित नहीं किए जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जानकारी के अभाव में पंजी एवं सूची का संधारण

नहीं किया गया जिसे गैर सरकारी संस्था(NGO) से प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

(ii) आवेदन पर बी.पी.एल. की जांच नहीं की गयी जबकि सरकार के पत्रांक 507 दिनांक 12.06.2012 में यह उल्लेख है कि प्राप्त आवेदन पर अंकित बी.पी.एल. संस्था की सत्यता की जांच नगर प्रबंधक करेंगे और जब नगर प्रबंधक नहीं है वहां स्वयं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि बी.पी.एल. की जांच समयाभाव के कारण नहीं की जा सकी। परंतु बी.पी.एल. कार्ड का फोटोकॉपी प्राप्त किया गया । आवेदक के चयन का मापदंड नियमानुसार किया गया है ।

(iii) पंजीकरण सूची/ पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।

(iv) प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थियों को प्रमाण–पत्र एवं टूल किटस प्रदान करना है, लेखापरीक्षा में प्रमाण पत्र वितरण एवं टूल किटस प्राप्ति का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

(v) पंजीकरण सूची एवं व्यवसायवार/ बैचवार पंजी उपलब्ध नहीं कराये जाने से प्रशिक्षण की अवधि (कब से प्रारंभ एवं समाप्त की गयी) स्पष्ट नहीं हो पाया।

(vi) संस्था द्वारा प्रशिक्षण उपरांत लाभार्थी का 30 प्रतिशत नियोजन करना है परंतु कहॉ–कहॉ नियोजित किए गए उल्लेख नहीं है। जवाब में बताया गया कि 30 प्रतिशत नियोजन प्रमाण–पत्र गैर सरकारी संस्था से प्राप्त है। तत्पश्चात् अभिश्रव प्राप्त कर भुगतान की गई है। परंतु ये कहॉ नियोजित थे इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(vii) प्रशिक्षकों की सूची एवं चयन का मापदण्ड संचिका में उपलब्ध नहीं था ।

(viii) भुगतान की गयी राशि का अभिश्रव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

न.वि. एवं आ.वि. के पत्रांक 04/स्वर्ण 01/13 366 दिनांक 25.02.2016 में भुगतान के संदर्भ में यह उल्लेख है कि SJSRY योजना के प्रशिक्षण की समाप्ति के दिनांक 06.06.13 के पूर्व का कोई भी वैधानिक दावा लंबित हो तो पूर्णतः संतुष्ट होकर अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ 15 दिन के अंदर प्रस्ताव समर्पित किया जाए एवं प्रशिक्षण अवधि के समाप्ति के कई वर्षो बाद भी भुगतान का अनुरोध किया जाना संदेहात्मक एवं सरकारी राशि के दुरूपयोग की संभावना को इंगित करता है। अतः अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उपर्युक्त तिथि के पूर्व का अभिश्रव है या बाद का। अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया।

(141)

अतः भुगतान की गई राशि रू. 30 लाख अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है ।

कंडिका–12: मकान कर

नगर पंचायत नवगछिया के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान (2013–14 से 2015–16) उपलब्ध कराए गए अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि मकान कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था परन्तु इस संबंध में कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के अनुसार मांग एवं वसूली का सार इस प्रकार है:–

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बकाया मांग	चालू मांग	कुल मांग	कुल वसूली	बकाया अंतशेष
1	2	3	4	5(5–4)	6	7(5–6)
1	2013–14	293783	1881596	2175309	1627283	548026
2	2014–15	548026	3024925	3572351	2874934	698017
3	2015–16	698017	3572951	4270968	4096580	174388

संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किए जाने के कारण से लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया इसके अभाव में मांग एवं वसूली की जांच नहीं की जा सकी। अतः इसे विहित प्रपत्र में संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए ।

कंडिका–13: बस पड़ाव

सहायक रोकड़ बही के अवलोकन में पाया कि दिनांक 02.07.15 को राशि रू. 20000000 बस पड़ाव निर्माण के लिए बुडको को हस्तांतरित किया गया था।

राशि 2 करोड़ रूपये के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र, व्यय विवरणी यदि बुडको से प्राप्त हुआ है, तो उसे लेखा–परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जवाब में बताया गया कि इसकी मांग बुडको से की जाएगी ।

इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

कंडिका–14 कर कटौती के पश्चात संबंधित शीर्ष/ सरकार को प्रेषित नहीं रू.56.00 लाख

कार्यालय नगर पंचायत नवगछिया के वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा में रोकड़ पंजी के अवलोकन में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वित योजना से आवश्यक कर की कटौती की गयी यथा वाणिज्यकर, आयकर, लेवर सेस